

सं. 14015/07/2009-अ.भा.से.-(1)-ख

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर, 2009.

### अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) विनियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सिविल सेवा, हरियाणा के निम्नलिखित सदस्यों को भारत सरकार द्वारा उपयुक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के तहत राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 2009 की चयन सूची के लिए नियत की गई रिक्तियों के लिए अगले आदेश होने तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा संवर्ग में आबंटित करते हैं:-


### चयन सूची वर्ष -2009

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री)
1.	वजीर सिंह गोयत
2.	विकास यादव
3.	बलराज सिंह
4.	अशोक सांगवान

2. चयन सूची में उपयुक्त अधिकारियों को शामिल करना निम्नलिखित मामलों में, अंतिम निर्णय के अध्यक्षीन होगा:-

1. भारत संघ बनाम आईडी नाहरवाल तथा अन्य द्वारा दायर रिट याचिका (सी.) सं. 6474/2003

2. युद्धवीर सिंह ख्यालिया बनाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यू सं. 13381/2006
3. रमेश नंद वर्मा बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 10367/1994
4. प्रवीण कुमार बनाम लाजवीर सिंह तथा अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 4092/1985
5. हरियाणा राज्य बनाम लाजवीर सिंह द्वारा दायर एलपीए सं. 8/2008
6. वजीर सिंह गोयत तथा अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य द्वारा दायर सीपीडब्ल्यू सं. 3549/2007
7. प्रवीण कुमार तथा अन्य बनाम जेडी नाहरवाल तथा अन्य द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी सं. 7220/2003

  
(एस.एस. शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद,

हरियाणा ।